(94)

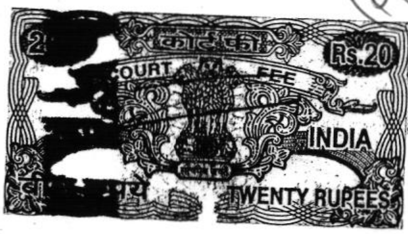

न्यायालय राजस्व मण्डल एवं राजस्व नियन्त्रक बोर्ड, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / I/निगरानी/टीकमगढ़/स्टाम्प अधि./2018/01341

श्री रामशिवकर शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 22/2/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

§1§- महेन्द्र सिंह तनय श्री लक्ष्मन सिंह तोंगर,

§2§- धर्मेन्द्र सिंह तनय ,, ,, ,,

निवासीगण जतारा, तहसील व जिला टीकमगढ़ §म0प्र0§

----आवेदकगण

(रामशिवकर शर्मा) एड
22-2-18

बनाम

§1§- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ §म0प्र0§

§2§- छक्की तनय बृजलाल काछी,

निवासी कस्बा जतारा, वार्ड क्रं0 तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ §म0प्र0§

----- अनावेदकगण

Revision against R.R.C

निगरानी अन्तर्गत म0प्र0 स्टाम्प अधिनियम 1989,

विरूद्ध आदेश दिनांक 22-12-17 द्वारा पारित न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं जिला पंजीयक टीकमगढ़ §म0प्र0§ एवं प्रकरण क्रमांक 13/बी/03/17-18 आर0सी0सी0 प्रकरण क्रमांक 05/अ-76/17-18 सु महेन्द्र सिंह विरूद्ध कलेक्टर ऑफ स्टाम्प टीकमगढ़ के निर्णय से दुखित होकर।

मेमो एवं आदेश की प्रति प्राप्त
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति............
पृष्ठ क्र.........से.........
दिनांक 22/2/18
हस्ताक्षर व नाम

----0----

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

F-O

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक महेन्द्र सिंह, धर्मसिंह विरुद्ध म.प्र. शासन जिला

I / निगरानी / टीकमगढ़ / स्टाम्प अधिo / 2018 / 01341

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.8.18	(1) प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभि० श्री रामसेवक शर्मा को सुना गया।	[signature] 27-8
	(2) शासकीय अभि० श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित।	[signature]
	(3) - प्रस्तुत निगरानी मैमो के पैरा (3) अनुसार यह निगरानी तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 05/अ-76/17-18 अर्थात् आर.सी. दिसम्बर 2018 के दि० 22.02.18 को विरुद्ध है, प्रस्तुत की है।	
	(4) तहसीलदार के द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 22.11.07, जिसके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प ने राशि रु० 50062/- मुद्रांक शुल्क की वसूली निकाली है, की वसूली हेतु R.R.C Issue की है।	
	(5) मूल आदेश 22.11.07 का कलेक्टर आफ स्टाम्प का है	
	(6) तहसीलदार के द्वारा R. Notice जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध निगरानी का प्रावधान न होने के कारण निगरानी अग्राह्य की जाती है।	
	[signature] 27.8.18	

[क. प. उ.